

जयपुर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद

आदेश क्रमांक: जी-1-97/ 105-106

दिनांक: 16.9.97

विषय:- प्राथमिक विद्यालय विभाग को स्थाई मान्यता ।

--0--

जी. सी. एम. पब्लिक स्कूल नवादा (लिगाण) को

1-4-97 से पहली से पांचवीं तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1- यह संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा में किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने ही उर्ध्व पर चलायेगी ।
- 2- भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में जे0बी0डी0 ह्यूड अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।
- 3- विद्यालय में कार्यरत जेबीटी अध्यापकों के छः मास के वेतन की राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम प्लेज्ड करायेगे । यदि राशि प्लेज्ड न कराई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
- 4- वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा ।
- 5- सभी जेबीटी अध्यापकों की सी0वी0एफ0 की राशि स्थानीय बैंक में जमा कराई जाया करेगी ।
- 6- संस्था को शिक्षा की धारा 214 के अन्तर्गत रेगुलेशन कोड की शर्तों को पूरा करना होगा । यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गलती पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
- 7- सी0 डबल्यू0 एफ0, रैड क्रॉस तथा स्पोर्ट्स फण्ड की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा ।
- 8- विद्यार्थियों से फीस फण्डस की राशि सरकारी दरों के अनुसार ली जायेगी तथा लड़कियों की पहली से पांचवीं तक की शिक्षा के लिये किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी होगी ।
- 9- शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय चेक कर सकता है ।

ताज बीका

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद

पू0 क्रमांक: सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

2- वण्ड शिक्षा अधिकारी, नवादा 10/9/97 -II-

3- सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया ।

4- अनुभाग अधिकारी, स्थानीय।

GCM Public Sr Sec. School
Nawada, Tigaon Faridabad
Principal

Principal

GCM Public Sr Sec. School
Nawada, Tigaon Faridabad

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद
Distt. Primary Edu. Officer
Faridabad

By: 
President
Shree Gian Chand Memorial Shiksha Samiti
Nawada (Ballabgarh)

No. 2465-2470

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक 2465-2470 दिनांक 18/9/97

विषय:- माध्यमिक स्तर पर छात्रों की मान्यता ।

जो सी सी स्कूल वाइलेन, गिडलरसूल नवादा (हि.गो.व.) को

1-4-97 से छात्रों से अठवीं कक्षा में शिक्षा प्रदान करने की जाती है :-

1. छात्रों की शिक्षा विभाग परीक्षा से जिले की भाषा पढ़ की प्रवृत्ति तथा वित्तीय समर्थता की भाषा में करेगी तथा अपने ही छात्रों पर स्कूल कायेगी ।
2. छात्रों में निम्नलिखित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के वेतन के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लेज्ड करायेगी । यदि राशि प्लेज्ड न करवाई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
4. वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सी.पी.एस. की राशि स्थानीय बैंक में जमा कराई जाये ।
6. छात्रों की धारा 14 के अन्तर्गत सभी एडमिशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. गी.चं.म.स.स.स.स. तथा स्पोर्ट्स फंड की राशि का शेष विभाग के निम्नानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का जो भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य में किसी भी रूप में सहकृत कर सकता है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद

मुख्य अधिकारी सम

जिसका एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा जाता है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद
3. समन्वित विद्यालय का मुख्यालय ।
4. सी.पी.एस. विभागी ।

Principal
GCM Public Sr. Sec. School
Nawada, Tigaon Faridabad

Principal
Faridabad
जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद

By...

President

Shree Gian Chand Memorial Shiksha Samiti
Nawada (Ballabgarh)

कार्यालय निदेशक सहायक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़
आदेश क्रमांक 23/123-2000 वि 1121

दिनांक चण्डीगढ़

10-8-2000

जी.सी. एम. पब्लिक हाई स्कूल नवादा परीदाबाद को दसवीं स्तर तक की
स्थापना मान्यता दिनांक 1-4-2000 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायें और ग्रांट इत्यादि की मांग
नहीं करेंगे।
2. विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड की धारा 159 तथा 214 से 239 तक की सभी
शर्तों की पूर्ण रकम से पालना करेगा।
3. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली विभागीय हिदायतों
की पालना करेगा।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूर्ण
करेगा तथा इसके जो भी नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।
5. अध्यापकों को वेतन ग्रास चैक द्वारा दिया जाये।
6. नियुक्तियों में आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाये।
7. विद्यालय 170 से अधिक छात्रों को दाखिल नहीं करेगा।

राम गोपाल नागपाल
संयुक्त निदेशक विद्यालय

कार्यालय निदेशक सहायक शिक्षा हरियाणा

पृष्ठान्त क्रमांक सम दिनांक 10-8-2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी परीदाबाद को उनके यादी क्रमांक स्टैनो/99/2761
दिनांक 27-8-1999 के संदर्भ में।
2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी सिवाये परीदाबाद।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।
4. अधीक्षक सहायक/आँकड़ा स्थानीय।
5. मुख्याध्यापक जी.सी. एम. पब्लिक हाई स्कूल नवादा परीदाबाद।

Principal
GCM Public Sr Sec. School
Nawada, Tigaon Fardabari

अधीक्षक विद्यालय-110/81215
कु. निदेशक सहायक शिक्षा हरियाणा
President

Shree Gian Chand Memorial Shiksha Samiti
Nawada (Ballabgarh)



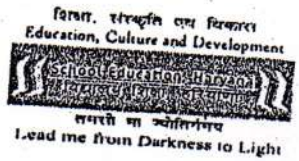
GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय



ORDER NO. 13/1-2015 PS(4)

School Code 3766 / FBD/12th/BOSE/2018

Dated, Panchkula The 24.07.2018

ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under rule 34 (1) of Haryana School Education, Rules, 2003, sanction is hereby accorded for permanent recognition to G.C.M. Public Sr. Sec. School, Vill. Nawada (Faridabad) run by Managing Committee, Shree Gian Chand memorial Shiksha Samiti, Vill. Nawada P.O. Neemka, Tehsil Ballabgarh, Distt. Faridabad for classes 11th to 12th in subjects of (Arts, Commerce & Science Stream) under BOSE pattern with effect from 01.04.2018 under the following terms and conditions:-

TERMS & CONDITIONS:-

1. This permanent Recognition is granted that on the subject to the condition that the documents/information furnished by the school authorities are factual and not devoid of truth in any way. However, if any information at any stage, is found contrary to the facts the recognition would be revoked forthwith.
2. The school shall follow the course of study as per syllabus prescribed by the affiliated board.
3. The school shall charge fees and funds as declared to the appropriate authority at the time of application for recognition and display the same on the notice board of the school and shall not increase the fees during the any academic session. In case of any change in the fee structure the school shall inform to the appropriate authority in the month of January for the next academic year and will also issue printed receipts of fees/funds to the students.
4. Salary shall be paid as per declaration at the time of seeking recognition.
5. No capitation fee and other charges shall be charged from the children/parents.
6. School shall be open for admission without any discrimination based on religion, caste, race, place of birth any other whimsical.
7. Managing Committee shall not allow to run two schools affiliated by different board/council in the same premises.
8. Managing Committee shall not close down the school or and existing class during the academic session without the prior approval of the appropriate authority.
9. The school shall be open for inspection for the inspecting officer authorized by the Director/Appropriate Authority.
10. Recognition so granted shall be reviewed after every 10 years.
11. No financial assistance shall be granted by the Department to the school.
12. School premises shall not be used for commercial purpose and anti National activities.
13. Approval of Managing Committee shall be obtained from the appropriate authority in case of any change in the committee.
14. The Managing Committee shall follow the instructions issued by Government/Director from time to time and supply the information to the Govt./Department as required.
15. In addition to above the Managing Committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules, 2003 and amendments if any thereafter. The Managing Committee shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provisions of the rules.
16. School will provide ramp within six months otherwise recognition will stands withdrawn.
17. If any information, at any stage found Contrary to the Fact's the recognition would be revoked forthwith.
18. That the number of students in classroom shall not be more than the students calculated on the 10 square feet per student for secondary and Senior Secondary Schools and 9 Square feet per student of elementary state.
19. The Managing committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules 2003(amended) & R.T.E. Rules 2011 and amendments if any thereafter. The Managing shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provision of the rules.

Rajiv Rattan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

Dated, Panchkula, the - 25/07/18

Endst. No. Even

Regd.

A copy is forwarded to the following information and necessary action:-

1. Deputy Commissioner, Faridabad.
2. District Education Officer, Faridabad.
3. Secretary, Haryana Board of School Education, Bhiwani.
4. Managing Committee, Shree Gian Chand memorial Shiksha Samiti, Vill. Nawada P.O. Neemka, Tehsil Ballabgarh, Distt. Faridabad
5. Principal, G.C.M. Public Sr. Sec. School, Vill. Nawada (Faridabad)
6. I.T. Cell (HQ) Kindly upload on website.
7. Office Record.

GCM Public Sr Sec. School
Nawada, Tigaon Faridabad

President
Shree Gian Chand Memorial Shiksha Samiti
Nawada (Ballabgarh)

Superintendent (PS)
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula